

उत्तर रेलवे
NORTHERN RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

म0क्र0स0 13500/87

पं सं. 643-E/6 CPC/Special All /08/E-VI

दिनांक 24/03/2009.

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Recommendations of VI CPC - Decision of
Government related to Grant of Special Allowance to
Teaching staff of Oak Grove School, Jharipani.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. E(P&A)/I-2008/PS-5/PE-4 दिनांक 17/3/2009
(आर.वी.ई.सं.48/2009) क्र.सं. पी.सी.-VI No.67 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

पत्र का हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती अवश्य भेजें।

संलग्न/यथोक्त

(Om Prakash)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एनआरएमयू, 12 चेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली
3. महासचिव, ओआओजाओ/ओजओजाओ रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी
लाजपतनगर, नईदिल्ली-24
4. महासचिव, ओमओओपिओवओ रेल कर्मचारी संगठन 171/ए, 3 बसंत लेन नई दिल्ली।

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
पी सी-IV/87
सं. ई (पी एंड ए) I-2008/पीएस-5/पीई-4

महाप्रबंधक (कार्मिक),
उत्तर रेलवे,
नई दिल्ली।



आर बी ई सं 48/2009

नई दिल्ली, दिनांक 17.03.2009

विषय : छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश - ओक ग्राव स्कूल झारीपानी के शिक्षण कर्मचारियों को विशेष भत्ता प्रदान करने संबंधी सरकार का निर्णय।

उपर्युक्त विषय पर छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, राष्ट्रपति जी ओक ग्राव स्कूल के शिक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों और अन्य शिक्षण कर्मचारियों को पे-बैंड और ग्रेड-पे की 10% की दर से विशेष भत्ता सहर्ष स्वीकृत करते हैं।

- ये आदेश 01.09.2008 से प्रभावी होंगे।
- सहायक मिस्ट्रेस को 200/- रुपए प्रति महीने की दर से विशेष भत्ता के मौजूदा प्रावधान को 01.09.2008 से बंद कर दिया जाएगा।
- इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
- कृपया पावती दें।

(चन्द्र प्रकाश)
संयुक्त निदेशक, स्था. (वे. एवं भ.)
रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए) I-2008/पीएस-5/पीई-4
प्रतिलिपि प्रेषित:

नई दिल्ली, दिनांक 17.03.2009

- प्रधान लेखा परीक्षक, उत्तर रेलवे।
- भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

सं. ई (पी एंड ए) I-2008/पीएस-5/पीई-4
प्रतिलिपि: विस एवं मुलेधि, उत्तर रेलवे को प्रेषित।

नई दिल्ली, दिनांक 17.03.2009

(चन्द्र प्रकाश)
संयुक्त निदेशक, स्था. (वे. एवं भ.)
रेलवे बोर्ड

490
19/3/09

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

PC-VI.No. 87

RBE No. 48/2009

No.E(P&A)I-2008/PS-5/PE-4

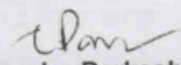
New Delhi, dated 17.03.2009.

The General Manager (P),
Northern Railway,
New Delhi.

Sub: Recommendations of VI CPC – Decision of Government relating to grant of Special Allowance to Teaching staff of Oak Grove School, Jharipani.

In reference to the recommendations of the VIth Central Pay Commission on the above subject, the President is pleased to sanction Special Allowance @ 10% of the pay band and grade pay to teachers, Librarians and other Teaching Staff of Oak Grove School.

2. The above orders will take effect from 1.9.2008.
3. The existing provision of Special Allowance to Asstt. Mistress @ Rs.200/- p.m. will be discontinued w.e.f. 1.9.2008.
4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
5. Kindly acknowledge receipt.

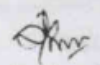

(Chander Parkash)
Joint Director Estt.(P&A),
Railway Board

No.E(P&A)I-2008/PS-5/PE-4

New Delhi, dated 17.03.2009

Copy to

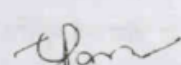
1. The Principal Director of Audit, Northern Railway.
2. The Deputy Controller and Auditor of India(Railways), Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi (with 10 spares).


for Financial Commissioner/Railways.

No.E(P&A)I-2008/PS-5/PE-4

New Delhi, dated 17.03.2009

Copy to the FA & CAO, Northern Railway.


(Chander Parkash)
Joint Director Estt.(P&A),
Railway Board

Contd...2/-